प्रकीर्ण वाद संख्या २३२/२०२० (एम.ए.सी.पी.सं. २८०/२०१९)
बृजमोहन उर्फ हरीमोहन बनाम अनुराग आदि
१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। ३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। ३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची बृजमोहन उर्फ हरीमोहन नाबालिग जरिए पिता एवं प्राकृतिक संरक्षक राम स्वरूप द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में ₹ ३०,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसके अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा उक्त धनराशि न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी में स्थानान्तरित कर दी गयी है, जिसका यू.टी.आर. नं. N 323201312949170 है। अतः प्रार्थी ने उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि मय ब्याज उसके पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की है। समर्थन में ४सी२ शपथपत्र राम स्वरूप व रामस्वरूप के आधार कार्ड व बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की गयी हैं।

एम.ए.सी.पी. सं. २८०/२०१९ श्रीमती बृजमोहन उर्फ हरीमोन बनाम अनुराग आदि की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। उक्त एम.ए.सी.पी. सं. २८०/२०१९ में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को सुलहनामा के आधार पर लोक अदालत में ₹ ३०,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसकी आधी धनराशि को याची जरिए पिता व प्राकृतिक संरक्षक रामस्वरूप आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उसके बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है एवं आधी धनराशि याची की वयस्कता तक सावधि खाते मे जमा होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा यू.टी.आर. नं. N 323201312949170 के जरिये ₹ ३०,००० सिन्डीकेट बैंक, गोबिन्द चौराहा झाँसी में जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थी के संरक्षक रामस्वरूप द्वारा अपने शपथपत्र में यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी के संरक्षक द्वारा अपने बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थी जरिए पिता एवं प्राकृतिक संरक्षक राम स्वरूप प्रकरण में जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट नकद प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं.२८०/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. २३२/२०२० बृजमोहन उर्फ हरीमोहन बनाम अनुराग आदि) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर देंः-

Applicat/ petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued 0n Deposited	Mode of Disbursmen t	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Brijmohen alias Harimohan Through Natural guardin father Ram swaroop	15000	100	Elect.Mode RTGS/NEFT Through Father and Natural guardin Ram swaroop 0n Account	9235201 0011087	Syndicate Bank, Govind Chauraha Jhansi	SYNB000 9235
Brijmohen alias Harimohan	15000	100	FD in any Nationalise d Bank up to his attaining majority	------------	-----------------	------------
Total	30000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.15 22:15:37 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI